

राजस्थान सरकार
कृषि (गुप-2) विभाग

क्रमांक प. 10 (2) कृषि गुप-2/75

जयपुर दिनांक 10-02-2006

अधिसूचना

इस विभाग की तन्त्रात्मक अधिसूचना दिनांक 25-01-2006 के द्वारा जारी अनुसूची में कम संख्या 2 पर अंकित व्यवस्था कृषि जिनस पर आगामी आदेशों तक मण्डी शुल्क वसूली का रक्षण किया जाता है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

६०

(कै सी वर्मा)

शासन उप सचिव

निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रायली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांक प. 4/33/गुप-2/नियम/06/11/720/2006 जयपुर, दिनांक: 10-02-2006

प्रतिनिधि:-राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को आवश्यक वाही करने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग- - - - - {तमस्त}
- 2- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति - - - - - {तमस्त}

10/2/06
निदेशक
कृषि विपणन